संख्या : 549 / IV(1)/2010–119(कुम्भ)/2009

प्रेषक,

निधि मणि त्रिपाठी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 2 जून, 2010

विषयः कुम्भ मेला, 2010 के दौरान दिनांक 14.4.2010 को बिरला पुल, हरिद्वार पर घटित दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 7223/कु.मे./अनुग्रह राशि दिनांक 16.4.2010 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उक्त दुर्घटना के 07मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु वांछित धनराशि रू. 29लाख (रू. उन्तीस लाख मात्र) के व्यय की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उक्त 07 मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान रू. 5लाख (रू. पांच लाख) प्रति मृतक किया जाएगा एवं इस हेतु शासनादेश संख्या 38/IV(1)/2010–119(कुम्भ)/2009 दिनांक 03मार्च, 2010 की शर्त संख्या 2 को विशेष परिस्थिति में एक बार के लिए शिथिल समझा जाएगा।
2. मृतकों के परिजनों को धनराशि का भुगतान, उक्त प्रस्तर 1 के अतिरिक्त, उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 03.3.2010 में दिए गये निर्देशानुसार नियमानुसार किया जाएगा।
3. उक्त धनराशि को वित्तीय वर्ष 2009–10 में पी.एल.ए. में रखी धनराशि से जैसे–जैसे आवश्यकता होती है, भुगतान हेतु नियमानुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद व्यय हेतु आहरित किया जाएगा।
4. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं उक्त के क्रम में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों, मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2011 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
6. उक्त धनराशि का आहरण उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के द्वारा पी.एल.ए. से करके मेलाधिकारी, हरिद्वार को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या 436/IV(1)/2010–39(सा.)/2006–टी.सी. दिनांक 25मार्च, 2010 के द्वारा मेलाधिकारी के निवर्तन पर रखी गई धनराशि रू. 108.5590करोड़ के सापेक्ष आहरित कर किया जाएगा तथा पुस्तांकन तदस्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जाएगा।

कृपया:

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 105/XXVII(2)/2010 दिनांक 14मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(निधि मणि त्रिपाठी)
अपर सचिव।

संख्या : 549 (1)/IV(1)/2010 तद्दिनांक। 2/6/10

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनुसचिव।

(B)